

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती सुरेन्द्रकवर

बनाम

काष्ठ

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 314/2022

पारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती सुरेन्द्रकवर

पति श्री

जबबरतेह राजपूत

निवासी-

सुवावा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सुवावा (पन्हो पालका)

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 332, 336

कुल कीता 2 कुल रकबा 1.0800 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

सुवावा (पन्हो पालका)

नम्बर

332, 336

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

कुल कीता 2 रकबा 1.0800 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=100 रूपये अक्षर एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(सहय सुन्दर विन्नेद)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

